पत्रांक–8ए/आ0(राज0उ0)–2–03/2025–...../

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– .....

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनील कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरुद्ध वरीय उपसमाहर्ता–सह–पीठासीन पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश ज्ञापांक–474/म0नि0 को (02), दिनांक–26.09.2025 के आलोक में अधिहरण वाद संख्या–230/25 से संबंधित उत्पाद थाना सदर कांड संख्या–840/25 दिनांक–11.08.25 में जब्त वाहन Volvo V90CCDS Car, निबंधन संख्या– AP31EV-8182 के वाहन मालिक श्री येलुरी गौतम नीतिन एवं श्री येलुरी बैंकट विनय विकास से जुर्माना राशि 2,15,262/–रूपये के अतिरिक्त 2,70,000/– रूपये अवैध रूप से प्राप्त करने का प्रयास किये जाने का मामला प्रतिवेदित है। इसके अतिरिक्त सदर उत्पाद थाना कांड संख्या–347/25 एवं 348/25 में गिरफ्तार कुल 04 अभियुक्तों के पड़नामा स्थित उत्पाद थाना के हाजत से फरार होने, शराब विनष्टिकरण के दौरान जब्त स्प्रीट में आग लग जाने के कारण विस्फोट होने, शराब विनष्टिकरण की प्रक्रिया में मानक एस0ओ0पी0 का पालन नहीं किये जाने एवं शराब विनष्टिकरण में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण एक दैनिक मजदूर श्री कुंदन कुमार के मृत्यु हो जाने, मृत्यु के उपरांत उसके आश्रित पत्नी एवं परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिये जाने एवं इतनी बड़ी दुर्घटना घटने की जानकारी विभाग एवं विभागीय पदाधिकारी को नहीं दिये जाने का भी आरोप है। विभागीय आदेश सं0–4981 दिनांक–26.08.2025 के आलोक में दिनांक–03.09.2025 को संयुक्त जाँच दल द्वारा अधीक्षक मद्यनिषेध का कार्यालय, औरंगाबाद का किये गये जाँच के क्रम में समर्पित प्रतिवेदन में भी कई अनियमितताएं पायी गयी है। उक्त आरोपों एवं अनियमितताओं के लिए उनके विरूद्ध आरोप को सत्य पाया जाना प्रतिवेदित है। उनका आचरण राज्य की मद्यनिषेध नीति, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 यथासंशोधित के प्रावधानों, सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री आजाद के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अनील कुमार आजाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक– .....

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0उ0)–2–03/2025–...../

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

(5)

(23)

पटना, दिनांक– .....

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0उ0)–2–03/2025–...../

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र (साक्ष्य तालिका सहित) की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री अनील कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–आरोप पत्र साक्ष्य सहित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक– 27.01.26

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0उ0)–2–03/2025–558/

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/एवं आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/2026

सरकार के संयुक्त सचिव